

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 339 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2011—पौष 7, शक 1933

आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-43/2011/32.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

## अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अधिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल	भवनों/भूखण्डों के अनुबंध का निष्पादन/ पंजीयन कराना.	30	कार्यपालन अभियंता/ संपदा अधिकारी	उपायुक्त	अपर आयुक्त/ आयुक्त
2.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल	देय किरतों की जानकारी उपलब्ध कराना.	20	कार्यपालन अभियंता/ संपदा अधिकारी	उपायुक्त	अपर आयुक्त/ आयुक्त



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल	आवंटित भू-खण्ड पर निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र का निराकरण.	30	कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी	उपायुक्त	अपर आयुक्त/आयुक्त
4.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल	भवन/भू-खण्ड हेतु जमा राशि की वापसी हेतु पूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन का निराकरण.	30	कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी	उपायुक्त	अपर आयुक्त/आयुक्त
5.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल	भवन/भू-खण्ड के आवंटन हेतु लाटरी पश्चात् आवंटन जारी करना.	30	कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी	उपायुक्त	अपर आयुक्त/आयुक्त
6.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल	भाड़ा क्रय पर आवंटित सम्पत्ति पर अन्य व्यक्ति का नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन का निराकरण.	30	कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी	उपायुक्त	अपर आयुक्त/आयुक्त
7.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल	अंतिम आवंटन आदेश के अनुसार हितग्राही द्वारा देय पूर्ण राशि जमा करने के पश्चात् हितग्राही भवनों का आधिपत्य प्रदान करना.	45	कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी	उपायुक्त	अपर आयुक्त/आयुक्त
8.	नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय	भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र जारी करना (जहां विकास योजना अनुमोदित है)	30	संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक	संचालक	विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव
9.	रायपुर विकास प्राधिकरण	पट्टा हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करना	25	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव
10.	रायपुर विकास प्राधिकरण	उत्तराधिकारी नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करना	25	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव
11.	रायपुर विकास प्राधिकरण	भू-खण्ड/भवन पर निर्माण/पुनर्निर्माण की अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करना.	15	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव
12.	रायपुर विकास प्राधिकरण	वित्तदायी संस्था से ऋण लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करना.	15	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.